भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 548
06 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध दिवस

548. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के दक्षिणी तट पर राज्य और केन्द्र सरकार दोनों द्वारा मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध दिवसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रतिबंध अवधि के दौरान प्रभावित मछुआरा समुदाय को राज्य-वार और वर्ष-वार वित्तीय सहायता स्वीकृत अथवा प्रदान की है; और

(ग) सरकार के ऐसे प्रयासों से राज्य-वार कितने मछुआरे परिवार लाभान्वित हुए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) :प्रतिवर्ष मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय जल (टेरिटोरियल वाटेर्स) से आगे भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र / इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनोमोक ज़ोन (ईईजेड) में 61 दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार एकसमान रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू किया जाता है:-

पूर्वी तट: 15 अप्रैल से 14 जून तक, (दोनों दिन सम्मिलित) (61 दिन)
पश्चिमी तट: 1 जून से 31 जुलाई तक, (दोनों दिन सम्मिलित) (61 दिन)

पारंपरिक गैर-मोटर चालित फिशिंग बोट्स को क्षेत्रीय जल से आगे भारतीय ईईजेड में लगाए गए इस एकसमान मछली पकड़ने के प्रतिबंध से छूट दी गई है । तटीय राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश भी अपने संबंधित क्षेत्रीय जल में 12 समुद्री मील तक इसी अवधि के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं ।

(ख) और (ग) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन' (सीएसएस-बीआर) कार्यान्वित किया जिसके तहत प्रत्येक नामांकित लाभार्थी को 3000/- रुपये प्रति वर्ष सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और नामांकित लाभार्थी का योगदान 1500/- रुपये वार्षिक है । 4500 रु/- की ऐसी संचित राशि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रत्येक नामांकित लाभार्थी को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान 1500/- रुपये प्रति माह की दर से सालाना तीन महीनों (अंतर्देशीय और समुद्री दोनों) के लिए भुगतान किया जाता है । 2020-21 से 2024-25 के दौरान मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत भी मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान, सीएसएस-बीआर योजना के तहत कार्यान्वित उसी समान फंडिंग पैटर्न के आधार पर सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है । सीएसएस-बीआर योजना (2018-19 से 2019-20 के दौरान) और पीएमएमएसवाई के तहत (2020-21 से 2023-24 के दौरान) मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/लीन अवधि के लिए कवर किए गए लाभार्थी मछुआरों और जारी की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध में प्रस्तुत हैं।

*****

<u>अनुबंध</u>

मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान पिछले 5 वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए स्वीकृत आजीविका और पोषण संबंधी सहायता

क्रम सं	राज्यों के नाम	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		मछुआरों की संख्या	**वित्तीय सहायता**	**मछुआरों की संख्या**	**वित्तीय सहायता**	**मछुआरों की संख्या**	**वित्तीय सहायता**	**मछुआरों की संख्या**	**वित्तीय सहायता**	**मछुआरों की संख्या**	**वित्तीय सहायता**	**मछुआरों की संख्या**	**वित्तीय सहायता**
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	45.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	98360	4426.20	98360	4426.20	123000	5535.00
3	असम	0	0.00	0	0.00	20000	900.00	21000	945.00	21000	945.00	21000	945.00
4	बिहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50000	2250.00	0	0.00	0	0.00
5	छत्तीसगढ	8500	255.00	7740.00	232.20	8000	360.00	8000	360.00	10000	450.00	10000	450.00
6	गुजरात	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30000	1350.00	0	0.00	0	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	2696	53.82	3717.00	111.30	3557	160.07	3557	160.07	4032	181.45	2675	120.38
8	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	17396	782.82	16286	732.87	16286	732.87	14500	652.50
9	कर्नाटक	0	0.00	38518	1155.54	24003	1080.14	20414	918.63	24003	1080.14	24136	1086.12
10	केरल	170063	4003.58	170063	4003.58	178265	7110.00	179316	8069.22	183540	8259.30	158002	6464.10
11	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2500	112.50	0	0.00	0	0.00
12	मध्य प्रदेश	15100	679.50	12318.00	369.54	10385	467.33	11237	505.67	10506	472.77	14989	674.51
13	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2000	90.00	2000	90.00
14	मिजोरम	5355	160.65	6283.00	188.49	6283	282.74	6283	282.74	0	0.00	0	0.00
15	ओडिशा	0	0.00	3757.00	101.77	12000	540.00	20000	900.00	0	0.00	12000	540.00
16	पुदुचेरी	37488	855.58	4667.00	280.00	28767	1294.52	28767	1294.52	24800	1116.00	25000	1125.00
17	राजस्थान	0	0.00	0	0.00	103	3.09	2200	99.00	0	0.00	0	0.00
18	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	9.00	60	2.70	215	9.68
19	तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00	216747	9753.62	170000	7650.00	190365	8566.43	179000	8055.00
20	तेलंगाना	0	0.00	0	0.00	2000	90.00	4000	180.00	0	0.00	4000	180.00
21	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	2239	67.17	4142	186.39	4246	191.07	3908	175.86
22	उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	9.00	0	0.00	0	0.00
कुल		239202	6008.13	247063	6442.41	529745	22891.48	677462	30485.80	589198	26513.93	594425	26103.15

****